(22)

जाति संशोधन हेतु आवेदन पत्र

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

शाहपुरा (भीलवाड़ा)

विषयः— जाति संशोधन नाम चमार के बजाय बैरवा दर्ज करवाने बाबत् ।

2022/340

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी श्री......सांवरलाल...... पिता......लादू......जाति बैरवा निवासी......कोरड़ा......तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का रहने वाला हूं। प्रार्थी की जाति ग्राम......कोरड़ा......पटवार मण्डल......कोरड़ा......के खाता संख्या......640......में चमार दर्ज है, जबकि मेरी वास्तविक जाति बैरवा है। राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.05(8) राज.–प./83/राज–6/96/जयपुर दिनांक 01–11–1996 से जाति शुद्धि करने के स्पष्ट आदेश है। अतः प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार के बजाय बैरवा दर्ज करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

(......सांवरलाल बैरवा......)

रिपोर्ट–पटवारी एवं भू अभिलेख निरिक्षक

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड श्री......सांवरलाल......पिता......लादू......की ग्राम......कोरड़ा......प0म0......कोरड़ा......के खाता संख्या......640......में जाति चमार दर्ज है, जबकि आवेदक की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः प्रार्थी की जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

पटवारी 23-6-2022 — भू0अ0नि0 23-6-2022

प0म0......कोरड़ा...... — वृत्त......कोरड़ा......

रिपोर्ट. तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. के प्रार्थी श्री......सांवरलाल......पिता......लादू......की ग्राम......कोरड़ा......प0म0......कोरड़ा......के खाता संख्या......640......में जाति चमार के बजाय बैरवा करने की सिफारिश की जाती है ।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

276/22
24/6/22

आदेश

तहसीलदार (भू.अ.)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शाहपुरा की अभिषंशा के प्रार्थी श्री......सांवरलाल......पिता......लादू......की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः ग्राम......कोरड़ा...... प0म0......कोरड़ा......केराजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या......640......में जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश दिया जाता है। अतः तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)